



क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

280, एन0एच0-19, रनियां, कानपुर देहात-209304

पत्रांक : 1025/N.O.C/S-71/22

दिनांक : 19/04/2022

सेवा में,

जिला पूर्ति अधिकारी

जनपद- कानपुर देहात।

विषय:- गाटा संख्या-179 ग्राम- गुटैया थाना-रूरा, तहसील- अकबरपुर, जनपद- कानपुर देहात पर न्यू रिटेल आउटलेट स्थापना हेतु विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने के सम्बन्ध में।

महादेय,

कृपया अपने पत्र सं0-248/जि0पू0अ0-पे0उ0-अनु0/2022 दिनांक-07.04.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के अनुक्रम में प्रस्तावित स्थल की स्थलीय जाँच करायी गयी। निरीक्षण आख्या के अनुसार रिटेल आउटलेट का स्थल, गाटा संख्या-179 ग्राम- गुटैया थाना-रूरा, तहसील- अकबरपुर, जनपद- कानपुर देहात में स्थित है। रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) में एम0एस0 (पेट्रोल) 1X20 कि0ली0, एवं एच0एस0डी0 (डीजल) 1X20 कि0ली0 टैंकों की स्थापना एवं भण्डारण किया जाना प्रस्तावित है। उक्त इकाई को एम0एस0 (पेट्रोल) 1X20 कि0ली0, एवं एच0एस0डी0 (डीजल) 1X20 कि0ली0 टैंकों की स्थापना एवं भण्डारण हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन संस्तुति की जाती है।

शर्त:-

1. रिटेल आउटलेट द्वारा पेट्रोलियम टैंको का भण्डारण प्रस्तावित स्थल के सन्निकट स्थित विद्युत लाइन से यथासंभव दूरस्थ तथा अग्निषमन विभाग के प्राविधानों के अनुरूप किया जाये।
2. रिटेल आउटलेट द्वारा पेट्रोलियम पदार्थों का भण्डारण एक्सप्लोसिव डिपार्टमेंट की मार्गदर्शिका के अनुसार करना सुनिश्चित करेगा, तथा सुरक्षा हेतु अग्निषमन के समस्त वांछित उपाये कराना सुनिश्चित किया जाये।
3. रिटेल आउटलेट द्वारा आकस्मिक दुर्घटनाओं के बचाव हेतु ऑनसाइट मैनेजमेंट प्लान तैयार कर इसका अनुमोदन सम्बन्धित विभाग से कराकर इस कार्यालय में 03 माह में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
4. रिटेल आउटलेट द्वारा डीजल/पेट्रोल के वाष्पन के नियंत्रण हेतु वेपर रिकवरी सिस्टम की स्थापना सुनिश्चित की जाए।
5. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु गाइडलाइन नं0-PCB/HO/HOW/RULES9/2019 Date- 24/02/20 का अक्षरः से अनुपालन किया जायेगा।
6. रिटेल आउटलेट द्वारा प्रस्तावित स्थल का भू-प्रयोग व्यवसायिक प्रयोग हेतु सक्षम अधिकारी से प्रमाण पत्र प्राप्त कर इस कार्यालय में एक माह में प्रस्तुत किया जाये।
7. पेट्रोल एवं डीजल के भण्डारण प्रक्रिया से कोई उत्प्रवाह जनित नहीं किया जायेगा तथा घरेलू उत्प्रवाह का शुद्धिकरण सेप्टिक टैंक/सोकपिट द्वारा बोर्ड मानकों के अनुरूप किया जायेगा।
8. बोर्ड द्वारा समय-समय पर दिये गये समस्त आदेश/निर्देश व मानकों का पूर्ण रूप से पालन किया जाये।
9. पेट्रोल एवं डीजल के भण्डारण स्थल के चारों तरफ कम से कम तीन मीटर चौड़ी हरित पट्टिका का विकास किया जाये।

भवदीय,

(जे0पी0 मौर्य)

क्षेत्रीय अधिकारी

मुख्यालय :- टी0सी0-12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

प्रभागीय वनाधिकारी

प्रभागीय वनाधिकारी
कानपुर-देहात वन प्रभाग

कानपुर-देहात

Hemant Kumar
मुख्य प्रबंधक (पुनरा विक्रय) / Ch. Manager (RS)
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड / Indian Oil Corporation Limited
कानपुर नगरीय कार्यालय पनबी, कानपुर-209 020
Kanpur Divisional Office Panki, Kanpur-209 020